नईदुनिया

संपादकीय

वंदे मातरम् पर राजनीति से बढ़कर जरूरी है कानूनी स्पष्टता

'वंदे मातरम्' को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का यह कहना कि सरकारी कार्यक्रमों में केवल पहले दो पद ही गाए जाएंगे, एक राजनीतिक बयान से कहीं अधिक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। सवाल यह है कि केंद्र के प्रोटोकॉल और संसद से बने कानून के बाद राज्यों की स्थिति क्या होगी। शिवकुमार ने 26 अगस्त को स्पष्ट किया कि कर्नाटक सरकार कांग्रेस के निर्णय के अनुसार दो पदों पर ही कायम रहेगी।

तथ्य यह है कि गृह मंत्रालय ने जनवरी 2026 में 'भारत के राष्ट्रगीत के संबंध में आदेश' जारी कर 'वंदे मातरम्' के छह पदों को आधिकारिक संस्करण माना है। इसमें राष्ट्रीय ध्वज फहराने, कुछ औपचारिक राजकीय समारोहों तथा अन्य निर्धारित अवसरों पर इसके गायन-वादन का प्रोटोकॉल तय किया गया है। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों होने पर पहले राष्ट्रगीत और उसके बाद राष्ट्रगान का प्रावधान है। जुलाई में गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को भी कहा।

लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर समझना जरूरी है। गृह मंत्रालय का प्रोटोकॉल अपने आप में ऐसा अनिवार्य आदेश नहीं है, जिसके पालन न करने पर हर स्थिति में दंड हो। अदालतों में भी यह स्पष्ट किया गया है कि केवल छह पद न गाने को स्वत: आपराधिक अपराध नहीं माना जा सकता। इसलिए दो पद गाने को सीधे अपराध बताना कानूनी रूप से सही नहीं होगा।

दूसरी ओर, संसद ने जुलाई में 'प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर (अमेंडमेंट) एक्ट, 2026' पारित किया और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन गया। संशोधित कानून राष्ट्रीय गीत को भी कानूनी संरक्षण के दायरे में लाता है। जानबूझकर राष्ट्रगीत का गायन रोकने या उसके गायन में लगी सभा में बाधा डालने पर तीन वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि छह पदों के बजाय दो पद गाने मात्र से स्वत: आपराधिक मामला बन जाएगा। कानून का केंद्र जानबूझकर रोकना या व्यवधान पैदा करना है।

यही वह बिंदु है जहां राजनीति को सावधान होना चाहिए। कांग्रेस का 1937 के निर्णय का हवाला देना ऐतिहासिक बहस का विषय हो सकता है और बाद के पदों में धार्मिक प्रतीकों के उल्लेख पर विभिन्न समुदायों की आपत्तियां भी अपनी जगह हैं। लेकिन किसी राष्ट्रीय प्रतीक को चुनावी या सांप्रदायिक आरोप-प्रत्यारोप का हथियार बनाना उसके ऐतिहासिक महत्व को कमजोर करता है।

कर्नाटक सरकार यदि केंद्र के निर्धारित राजकीय अवसरों पर छह पदों वाले आधिकारिक संस्करण के स्थान पर दो पदों का कार्यक्रम रखती है, तो केंद्र-राज्य संबंधों और प्रशासनिक निर्देशों की व्याख्या को लेकर विवाद बढ़ सकता है। दूसरी ओर, यदि केंद्र इसे कानून के नाम पर हर परिस्थिति में अनिवार्य बनाने का प्रयास करता है, तो अभिव्यक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक प्रश्न फिर उठेंगे।

इसलिए आवश्यकता राजनीतिक टकराव की नहीं, स्पष्ट दिशा-निर्देश की है। केंद्र को साफ करना चाहिए कि छह पदों का प्रोटोकॉल किन अवसरों पर बाध्यकारी प्रशासनिक निर्देश है और किन अवसरों पर सलाह। राज्यों को भी पार्टी के निर्णय और सरकारी प्रोटोकॉल के बीच अंतर स्पष्ट रखना चाहिए। 'वंदे मातरम्' स्वतंत्रता आंदोलन की अमूल्य विरासत है। उसकी प्रतिष्ठा तभी कायम रहेगी, जब राष्ट्रभावना को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से ऊपर रखा जाए।

आजकल

नदियों में जहर बहाकर जल सुरक्षा का दावा कैसे?

मध्यप्रदेश में 1315 नालों से रोज 637 एमएलडी सीवेज का बिना शोधन नदियों में पहुंचना सिर्फ पर्यावरणीय लापरवाही नहीं, बल्कि भविष्य के जल संकट की गंभीर चेतावनी है। 413 नगरीय निकायों में 352 के पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होना बताता है कि शहरों का विस्तार तो हुआ, लेकिन बुनियादी स्वच्छता व्यवस्था उस गति से विकसित नहीं हुई।

सबसे गंभीर चिंता यह है कि नर्मदा, क्षिप्रा, चंबल और बेतवा जैसी जीवनदायिनी नदियां इस प्रदूषण का बोझ उठा रही हैं। इन नदियों पर करोड़ों लोगों की पेयजल और कृषि जरूरतें निर्भर हैं। राजधानी भोपाल में भी नालों के जरिए सीवेज के बड़े तालाब तक पहुंचने की स्थिति सामने आना बताता है कि समस्या केवल छोटे शहरों की नहीं है।

विडंबना यह भी है कि 61 नगरीय निकायों में एसटीपी मौजूद हैं, लेकिन करीब 12.67 लाख घर सीवर नेटवर्क से जुड़े नहीं हैं। यानी सरकार ने संयंत्र बनाए, लेकिन उन्हें पर्याप्त सीवेज ही नहीं मिल रहा और दूसरी ओर घरों का गंदा पानी नालों में जा रहा है। यह योजना नहीं, अधूरी व्यवस्था का उदाहरण है।

ठोस कचरे की स्थिति भी चिंता बढ़ाती है। 110 निकायों में लाखों टन पुराना कचरा पड़ा है। बरसात में इसका प्रदूषित पानी भूजल और नदियों तक पहुंचता है। ऐसे में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य तभी सार्थक होगा, जब जलस्रोतों को प्रदूषण से बचाया जाए।

अब सरकार को नई घोषणाओं के बजाय समयबद्ध कार्रवाई करनी होगी। प्रत्येक निकाय में सीवर नेटवर्क, घर-घर कनेक्शन और एसटीपी की क्षमता के अनुसार संचालन सुनिश्चित करना होगा। नालों की रियल टाइम निगरानी, प्रदूषण फैलाने वालों पर दंड और नियमित सार्वजनिक रिपोर्टिंग जरूरी है। नदी बचाने के नाम पर केवल सफाई अभियान चलाने से काम नहीं चलेगा। जब तक नालों का मुंह नदियों से बंद नहीं होगा, जल सुरक्षा का हर दावा अधूरा रहेगा।

युवाओं को साधने भाजपा में बड़ी सर्जरी की तैयारी?

बुजुर्ग नेता मार्गदर्शक मंडल में, जेन जी के साथ संवाद से बढ़ेगा विश्वास

डॉ. शिशिर उपाध्याय

भाजपा के लिए वरिष्ठ नेताओं के विकल्प की तलाश तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि प्रदेश स्तर पर भी सर्वे कराया गया है। इसके आधार पर यह तय किया जा सकता है कि किन नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाए और किन्हें सक्रिय राजनीति से धीरे-धीरे दूर किया जाए। दिल्ली के संकेतों के बाद ऐसे नेताओं के विकल्प तलाशे जा रहे हैं, जिन्हें पार्टी की मुख्यधारा से जोड़े रखते हुए मैदान में युवा चेहरों को उतारा जा सके।

मध्यप्रदेश में सत्ता में वापसी के बाद अब भाजपा भविष्य की रणनीति पर मंथन कर रही है। पार्टी के भीतर सबसे बड़ी चर्चा उम्रदराज नेताओं और लंबे समय से सक्रिय राजनीति में रहे चेहरों की भूमिका को लेकर है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली से मिले संकेतों के बाद प्रदेश में वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में शामिल करने और उनके स्थान पर युवा चेहरों को आगे लाने की रणनीति पर विचार हो रहा है, ताकि जेन जी यानी युवा मतदाताओं के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत की जा सके। ओरछा में हुई कार्यसमिति बैठक के बाद से कई वरिष्ठ नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं।पार्टी सूत्रों के अनुसार, नौ बार के विधायक गोपाल भार्गव जैसे नेताओं की भूमिका को लेकर भी मंथन चल रहा है। कहा जा रहा है कि प्रदेश से लेकर दिल्ली तक नेतृत्व ने पार्टी को नए सिरे से तैयार करने का मन बनाया है। इसमें ऐसे नेताओं के विकल्प तलाशने पर विचार हो रहा है, जिनकी उम्र अधिक हो चुकी है, चुनावी प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा है या जिनका प्रभाव कुछ क्षेत्रों में कमजोर हुआ है। फिलहाल पार्टी का फोकस प्रदेश कार्यसमिति की आगामी बैठक पर है।

अंदरूनी सर्वे ने बढ़ाई टेंशन

भाजपा के लिए वरिष्ठ नेताओं के विकल्प की तलाश तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि प्रदेश स्तर पर भी सर्वे कराया गया है। इसके आधार पर यह तय किया जा सकता है कि किन नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाए और किन्हें सक्रिय राजनीति से धीरे-धीरे दूर किया जाए। दिल्ली के संकेतों के बाद ऐसे नेताओं के विकल्प तलाशे जा रहे हैं, जिन्हें पार्टी की मुख्यधारा से जोड़े रखते हुए मैदान में युवा चेहरों को उतारा जा सके।

इन नेताओं पर नजर

गोपाल भार्गव, विजय शाह, नरेंद्र सिंह तोमर सहित एक दर्जन से अधिक बड़े नेताओं की भूमिका को लेकर पार्टी में चर्चा है। रणनीति यह बताई जा रही है कि वरिष्ठ नेताओं के अनुभव का उपयोग करते हुए उनकी जगह नई पीढ़ी को आगे बढ़ाया जाए।

गोपाल भार्गव नौ बार के विधायक हैं, लेकिन पार्टी अब उनके विकल्प पर भी विचार कर रही है। कहा जा रहा है कि यदि उनके स्थान पर किसी दूसरे को टिकट दिया जाता है तो सागर जिले की दो से तीन सीटों पर इसका असर पड़ सकता है। यही वजह है कि उनके मामले में फैसला आसान नहीं माना जा रहा है।

आदिवासी बाहुल्य विधानसभा सीटों पर खासा दखल रखने वाले कुंवर विजय शाह को लेकर भी पार्टी के सामने अलग तरह की चुनौती है। उन्हें सरकार की टीम से अलग करना आसान नहीं होगा, क्योंकि पार्टी को मालूम है कि शाह का ठोस विकल्प तैयार किए बिना ऐसा फैसला नुकसान पहुंचा सकता है। उनके अलावा सत्ता में सक्रिय दूसरे आदिवासी नेताओं में फिलहाल शाह जैसा प्रभाव नहीं माना जाता।

नरेंद्र सिंह तोमर का अलग प्रभाव

नरेंद्र सिंह तोमर को मूलधारा में सक्रिय रखते हुए पार्टी कई सीटों पर लाभ ले सकती है। भिंड में भाजपा के लिए चौधरी परिवार प्रभावी माना जाता रहा है। तोमर भी पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार हैं। केंद्र में बड़े कद वाले मंत्री रहे तोमर का प्रभाव चंबल-ग्वालियर में तो है ही, उनके समर्थक राज्य के दूसरे अंचलों में भी हैं। ऐसे में उनकी वरिष्ठता को यदि पर्याप्त महत्व नहीं मिलता है तो पार्टी को राजनीतिक नुकसान की आशंका रहेगी।

मुरैना जिले में गुर्जर नेता के तौर पर जनता के बीच पकड़ रखने वाले पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह को लेकर भी मंथन की बात कही जा रही है।

जेन जी फैक्टर से निपटने की रणनीति

भाजपा की नई रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा जेन जी को साधना है। पार्टी मान रही है कि पुराने चेहरों से युवा मतदाताओं का जुड़ाव पहले जैसा नहीं रहा है। इसलिए हर विधानसभा में एक ऐसा युवा चेहरा तैयार करने की रणनीति पर काम हो रहा है, जो सोशल मीडिया पर सक्रिय हो और कॉलेज के युवाओं से सीधे संवाद कर सके।

योजना यह बताई जा रही है कि बुजुर्ग नेताओं को मंच से पूरी तरह हटाया नहीं जाएगा। उन्हें मार्गदर्शक मंडल में रखकर सम्मान दिया जाएगा और संगठन में उनके अनुभव का उपयोग किया जाएगा, लेकिन टिकट और मंत्री पद जैसे कार्यकारी पदों पर युवाओं को आगे लाया जाएगा। इसका उद्देश्य 2028 के विधानसभा चुनाव तक भाजपा को नए रूप में प्रस्तुत करना है।

भाजपाई बने कांग्रेसियों ने बिगाड़ा खेल

इधर जानकारी के अनुसार, भाजपा में विंध्य, बुंदेलखंड और महाकौशल के कुछ वरिष्ठ नेताओं की पूछ-परख घटने की चर्चा है। इनमें से कुछ नेता फिलहाल भाजपा से बाहर हैं और उन्हें वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे नेताओं को भी संतुष्ट करने की कोशिश है, जो लंबे समय से संगठन में अपनी उपेक्षा की शिकायत करते रहे हैं। इनमें रघुनंदन शर्मा और वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई जैसे नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद रहे अजय प्रताप सिंह से भी संपर्क किए जाने की चर्चा है। सिंह से भाजपा के कुछ नेता लगातार संपर्क बनाए हुए हैं।

कई क्षेत्रों में दूसरी लाइन प्रभावहीन होना भी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। जिन क्षेत्रों में बदलाव की तैयारी है, वहां दूसरी पंक्ति का कोई ऐसा युवा नेता फिलहाल नजर नहीं आ रहा, जो पुराने चेहरे का प्रभावी विकल्प बन सके। ऐसे में पार्टी के सामने बदलाव और मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है।

दरअसल, कई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं के भाजपा में आने से पुराने भाजपा नेताओं की राजनीतिक दूसरी लाइन कमजोर हुई है। इससे पुराने नेता और उनके समर्थक नाराज बताए जाते हैं। पार्टी ने इन नेताओं को संगठन, विंग और मंडल स्तर पर एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाहर से आए नेताओं के प्रभाव के कारण कई जगह उनके लिए रास्ता सीमित हो गया। यही स्थिति अब भाजपा के सामने नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के साथ पुराने नेताओं को साधे रखने की चुनौती खड़ी कर रही है।

दिल्ली की हवा प्रदूषित कर रहा मध्यप्रदेश...

• संकट गहराया, केंद्र ने भी जताई चिंता • पराली जलाने में मध्यप्रदेश अव्वल • नई दिल्ली के बाद अब भोपाल पर नजर

सितंबर के बाद दिल्ली-एनसीआर में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने की तैयारियों के बीच मध्यप्रदेश में पराली जलाने की बढ़ी घटनाओं ने केंद्र की चिंता बढ़ा दी है। यह चिंता इसलिए है क्योंकि जैसे-तैसे पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है, वैसे ही अब मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं जिस तरह बढ़ी हैं, वह दिल्ली-एनसीआर को जहरीली हवाओं से बचाने की कोशिशों पर पानी फेर सकती हैं। पिछले साल धान और इस साल गेहूं की पराली जलाने की सबसे अधिक घटनाएं मध्यप्रदेश में दर्ज हुई हैं। पिछले कुछ सालों के प्रयासों के बाद पंजाब में बड़े पैमाने पर पराली जलना थमा है। हालांकि, अभी भी इनमें कमी लाने की जरूरत है, लेकिन इस बीच मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश में घटनाएं बढ़ना केंद्र के लिए नई चिंता बन गया है।

राज्यों में गेहूं की पराली जलाने की घटनाएं एक अप्रैल से 13 मई 2026 के बीच मध्यप्रदेश में 36,202, उत्तरप्रदेश में 14,932, हरियाणा में 3,279 और दिल्ली में 63 दर्ज हुईं।

राज्यों में धान की पराली जलाने की घटनाएं 15 सितंबर से 30 नवंबर 2025 तक मध्यप्रदेश में 17,067, उत्तरप्रदेश में 7,290, पंजाब में 5,114, राजस्थान में 2,890, हरियाणा में 662 और दिल्ली में 5 दर्ज हुईं।

साल 2025 के धान सीजन में कुल 33,028 घटनाएं रिपोर्ट हुई थीं। वहीं, एक अप्रैल से 13 मई 2026 के बीच गेहूं की पराली जलाने को लेकर पांच राज्यों में किए गए अध्ययन में कुल 63,195 घटनाएं दर्ज हुईं। इनमें भी आधी से अधिक यानी 36,202 घटनाएं अकेले मध्यप्रदेश में दर्ज हुईं। मध्यप्रदेश सबसे आगे रहा। केंद्र की यह चिंता इसलिए भी बढ़ी है, क्योंकि मध्यप्रदेश में जलने वाली पराली का धुआं भी दिल्ली तक पहुंचता है।

मध्यप्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के साथ कृषि मंत्रालय ने भी मध्यप्रदेश को इस मामले पर चेताया है। साथ ही रोकथाम के जरूरी उपाय करने को कहा है। हाल ही में वायु प्रदूषण को लेकर वायु गुणवत्ता आयोग की बैठक में भी मध्यप्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं पर चिंता जताई गई है। अब तक चार हजार करोड़ से अधिक की राशि इस पर खर्च भी की जा चुकी है।

मध्यप्रदेश क्यों बन रहा नया हॉटस्पॉट

पहले पराली जलाने का ठीकरा पंजाब और हरियाणा पर फूटता था। वहां बड़े पैमाने पर धान की खेती होती है और समय की कमी के कारण किसान पराली जलाते थे। लेकिन अब वहां मशीनों और सरकारी सख्ती से घटनाएं घटी हैं। इसके उलट मध्यप्रदेश में गेहूं और धान दोनों का रकबा बढ़ा है। किसान के पास पराली प्रबंधन की मशीनें कम हैं। कई किसानों का कहना है कि हैप्पी सीडर और बेलर मशीन महंगी है और समय पर नहीं मिलती। मजदूरी महंगी है, इसलिए सबसे आसान तरीका आग लगाना लगता है।

दूसरा बड़ा कारण जागरूकता की कमी है। किसान को लगता है कि राख से खेत उपजाऊ होगा, जबकि वैज्ञानिक कहते हैं कि आग से मिट्टी के मित्र कीट मर जाते हैं और उर्वरता घटती है।

दिल्ली की हवा पर असर

दिल्ली में प्रदूषण का बड़ा कारण स्थानीय वाहन और फैक्ट्रियां हैं, लेकिन अक्टूबर-नवंबर में पराली का धुआं उसे गैस चैंबर बना देता है। अब तक यह धुआं पंजाब और हरियाणा से आता था, लेकिन अब मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश का धुआं भी उत्तर भारत की हवाओं के साथ दिल्ली तक पहुंच रहा है। सैटेलाइट की तस्वीरें बताती हैं कि मध्य भारत का धुआं भी उत्तर की ओर बढ़ता है।

केंद्रीय एजेंसियों का मानना है कि यदि मध्यप्रदेश में घटनाएं इसी तरह बढ़ीं तो दिल्ली में अक्टूबर से दिसंबर तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार जाना तय है। यह स्थिति जन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है।

सरकार के प्रयास और जमीनी हकीकत

केंद्र ने पराली प्रबंधन के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। मशीनों पर सब्सिडी दी जा रही है। पराली से बायो-सीएनजी और बिजली बनाने के प्लांट लगाए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में भी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गांव स्तर पर निगरानी करें। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई जिलों में मशीनें कागजों पर हैं, खेत में नहीं।

किसान को यदि पराली के बदले पैसा मिले तो वह जलाना बंद कर देगा। पंजाब में कुछ कंपनियां पराली खरीद रही हैं। मध्यप्रदेश में भी ऐसी व्यवस्था बनानी होगी। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने सैटेलाइट की मदद से निगरानी शुरू की है, लेकिन केवल चालान से बात नहीं बनेगी। किसान को विकल्प देना होगा।

आगे की राह क्या हो

पराली जलाने को केवल दंड से नहीं रोका जा सकता। इसके लिए तीन स्तर पर काम करना होगा। पहला, मशीनों की उपलब्धता गांव-गांव तक हो। दूसरा, पराली से आय का मॉडल बने, जैसे पशु चारा, बायोफ्यूल और पैकेजिंग। जागरूकता अभियान चले, जिसमें किसान को बताया जाए कि आग लगाने से उसकी ही जमीन बंजर हो रही है।

मध्यप्रदेश सरकार को भी समझना होगा कि यह केवल कृषि का मामला नहीं है। यह पर्यावरण और राष्ट्रीय राजधानी की सांसों का मामला है। यदि अभी नहीं चेते तो आने वाले सालों में दिल्ली ही नहीं, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर की हवा भी जहरीली हो जाएगी और तब केवल आंकड़े गिनने से कुछ नहीं होगा।

पराली का धुआं अब केवल खेत का नहीं, पूरे देश की सांसों का सवाल बन गया है और इसका जवाब केवल खेत में ही मिलेगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

रेलवे का खाना : एक्सपायरी तो लिखी है, पर बना कब यह गायब

एक तरफ केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय लगातार दावा करता है कि यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं दी जा रही हैं, स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसा बनाया जा रहा है और खाने की गुणवत्ता पर जीरो टॉलरेंस है। दूसरी तरफ भोपाल रेलवे स्टेशन के आईआरसीटीसी फूड प्लाजा की हकीकत इस दावे की हवा निकाल रही है। यहां यात्रियों को जो पैक्ड भोजन दिया जा रहा है, उसकी चिट पर सिर्फ एक्सपायरी लिखी है, निर्माण और पैकिंग की तारीख गायब है। मतलब यात्री जो खाना खा रहा है, वह कितना पुराना है, उसे पता ही नहीं है।

स्टेशन और ट्रेनों में सफर के दौरान यात्री अक्सर खाने के लिए रेलवे के फूड स्टॉल और फूड प्लाजा पर निर्भर रहते हैं, लेकिन खाने की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भोपाल स्टेशन पर मौजूद फूड प्लाजा पर पैक्ड भोजन की चिट पर सिर्फ एक्सपायरी लिखी मिली, जबकि खाना कब बनाया और कब पैक किया गया, इसकी जानकारी नहीं थी।

जब इस संबंध में फूड प्लाजा के स्टाफ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि खाना सुबह ही तैयार किया गया था। हालांकि, जब पैकेट पर भोजन तैयार होने के समय की जानकारी दर्ज नहीं होने को लेकर सवाल किया गया तो स्टाफ ने कहा कि इस संबंध में आगे चर्चा करेंगे। यह जवाब बताता है कि जिम्मेदारी से कैसे बचा जा रहा है।

45 रुपए का आमलेट सैंडविच खरीदा। इसमें न तो मिर्च थी और न ही नमक। इसके अलावा पैकेट पर कीमत के अलावा उत्पाद से जुड़ी कोई अन्य जरूरी जानकारी भी उपलब्ध नहीं थी। इस तरह से यह हमारे साथ धोखा है। खाने के पैकेट पर खाना कब बना और कब इसे पैक किया गया, इसकी जानकारी तो होनी ही चाहिए। यात्री ने लंच पैक कराया, लेकिन उस पर यह जानकारी नहीं दी गई थी कि खाना कब तैयार किया गया और कब पैक किया गया। ऐसे में यदि कोई यात्री खाना पैक कराकर यात्रा के दौरान ले जाता है और उसे खाने में देरी हो जाती है तो उसके लिए यह पता लगाना मुश्किल होगा कि खाना खाने योग्य है या खराब हो चुका है। यह जानकारी तो होनी ही चाहिए।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अनुसार किसी भी पैक्ड फूड पर निर्माण तिथि, पैकिंग समय, कीमत और बैच नंबर लिखना अनिवार्य है। एक्सपायरी डेट से अकेले काम नहीं चलता, क्योंकि निर्माण तिथि के बिना यह पता नहीं चलता कि खाना कितने घंटे पहले बना है। गर्मी के मौसम में पनीर, चावल और अंडे से बना खाना जल्दी खराब होता है। ऐसे में यात्री की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है।

रेलवे खुद कहता है कि उसका लक्ष्य शिकायतों को शून्य करना है। स्टेशन या ट्रेन में वेंडर की लापरवाही अथवा अवैध वसूली पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा उसकी रिस्पांस टीम भी सक्रिय है, जो स्पॉट पर पहुंचकर काम करती है। लेकिन भोपाल में तो फूड प्लाजा खुद ही नियम तोड़ रहा है, तो वेंडर पर कार्रवाई कौन करेगा? ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर इस तरह का पैकेज्ड फूड दिया जाता है, जिस पर निर्माण तारीख दर्ज नहीं होती। यह लापरवाही छोटी नहीं है। दूषित पानी से बच्चे सबसे ज्यादा बीमार हो रहे हैं, अस्पताल में वायरल इंफेक्शन के केस बढ़े हैं। ऐसे में यदि खाने की गुणवत्ता खराब होगी तो संक्रमण और बढ़ेगा। यात्री को उल्टी-दस्त और फूड पॉइजनिंग का खतरा है। हर पैकेट पर निर्माण व पैकिंग की तारीख और समय स्पष्ट हो, कीमत व जरूरी जानकारी दर्ज हो, भोजन की गुणवत्ता जांच हो, हेल्पलाइन नंबर और क्यूआर कोड उपलब्ध हो, हर खरीद पर बिल दिया जाए, खराब भोजन की सैंपल जांच हो और लापरवाह वेंडरों पर कार्रवाई हो।

रेलवे को समझना होगा कि चमकते स्टेशन और बुलेट ट्रेन के दावों से पहले यात्री को साफ, सुरक्षित और ताजा खाना चाहिए। एक्सपायरी लिखकर खानापूर्ति नहीं चलेगी। यात्री को यह जानने का हक है कि वह जो खा रहा है, वह कब बना है। वरना बेहतर सुविधा का दावा सिर्फ कागजों पर ही रहेगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)